

EXTRAORDINARY

धाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 202] No. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2012/वैशाख 19, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2012/VAISAKHA 19, 1934

> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2012

सा.का.नि. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर प्ररिचर नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर (संशोधन) नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. बायलर परिचर नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम
- (1) के हिन्दी पाठ में "केन्द्रीय" शब्द का लीप किया जाएगा ।
- 3. उक्त नियम के नियम 23 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखें जाएंगे, अर्थात् :-
- "(2) किसी दूसरी श्रेणी का प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक किसी भी प्रकार की ऊष्मा पाइप के साथ एकल बायलर, जिसकी कुल ऊष्मित पृष्ठ दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक नहीं ,होगी, का मारसाधक होगा ।
- (2क) दूसरी श्रेणी बायलर परिचर तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन से अनिधक संबद्ध बायलर से मिलकर नहीं बनेगा और जिसका कुल ऊष्मित पृष्ठ का औसत दो सौ वर्गमीटर से अनिधक नहीं होगा और बायलर उसी परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के मीतर अवस्थित होंगे तथा एक ही स्वामी के होंगे :

परंतु बायलर परिचर को ऐसी संख्या में फायर मैंन की सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझी जाए ।"

- 4. उक्त नियम के नियम 24 के उपनियग (2) के पश्चात् निम्निलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "(3) महाराष्ट्र राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी बायलर परिचर्र के रूप में प्रमाणपत्र धारक कोई व्यक्ति और वाष्प बायलर में फायरमैन या प्रचालक या सहायक फायर मैन या सहायक प्रचालक की क्षमता में एक वर्ष से अन्यून अनुभव रखने वाला अईता के पश्चात् महाराष्ट्र

1667 GI/2012

राज्य बोर्ड में अध्यक्ष कौँ आवेदन द्वितीय बायर परिचर की समक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकेंगा ।"।

- 5. उक्त नियम के नियम 31 के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- " (ख) उसने किसी वाष्य बायलर पर फायरमैन या प्रचालक या पंप मैन या वाटर मैन या सहायक फायरमैन या सहायक बायलर के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो ; या"
- उक्त नियम में, प्रस्थ ग के स्थान पर निम्निलखित प्रस्थ रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्रस्तप ग (नियम 41 देखें) (सक्षमता का द्वितीय वर्ग बालयर परिचर प्रमाणपत्र) का सं......

	((diam an	का सं		
बायलर परिचर प्राधिकृत किया वर्ग मीटर से अ (जिसका कुल र	य वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्य नियम, 2011 के अधीन द्वितीय जाता है कि वह किसी प्रकार निधक नहीं है। वह तथापि ब	गमग वर्तमान को पूर्ण करने की सक्षमता का वर्ग बायलर परिचर के रूप में स् के वाष्प नली के साथ एकल बार यलरों की किसी शृंखला जिसमें निधक न हो) उसे ऐसी संख्या व गए ।	परीक्षक बोर्ड का समाधान क्षमता के इस प्रमाणपत्र व पलर जिसका कुल उष्मित ्तीन संबद्ध बायलर से अ	हो गया है हे द्वारा उसे सतह 200 विकृन हों
20 के	मास के	दिन्को		
सचिव				अध्यक्ष
परीक्षक बोर्ड			पर्र	ोक्षक बोर्ड
फोटोचित्र		सूची का विवरण		
		1. जन्म तिथि और स्थान		
	The Late County and	2. स्थायी पता		
		3. राष्ट्रीयता		
		4. लंबाई (बिना जूते के)		
		5. पहचान के चिन्ह		
	•	6. बाएं हाथ का अंगूठा निशान	······································	
		आवेदक के हस्ताक्षर	,	

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर्स] शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2012

GS.R. 347(E).—in exercise of the powers conferred by clause (f) of subsection (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Boiler Attendants' Rules, 2011, namely:—

- 1. (1) These Rules may be called the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettc.
- In the Boiler Attendants' Rules, 2011, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1) of Hindi version, the word "Central" shall be omitted.
- 3. In the said rules, in rule 23, for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - "(2) A certificate of the Second Class shall qualify the holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type, the total heating surface of which does not exceed two hundred square meters.
 - (2A) A Second Class boiler attendant may, however, attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers not exceeding two hundred square meters in aggregate of total heating surface and such boilers shall be situated within a radius of thirty meters in the same premises and belong to one owner:

Provided that boiler attendant shall be assisted by such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers."

4. In the said rules, in rule 24, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

- "(3) A person holding a certificate as Boiler Attendant issued by an Industrial Training Institute recognized by the Maharashtra State Board of Vocational Examination and having a post qualification experience of not less than one year in the capacity of a Fireman or Operator or an Assistant Fireman or an Assistant Operator on a steam boiler may make an application to the Chairman of the Board in the State of Maharashtra, for endorsement, to have the certificate, equivalent to the Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency."
- 5. In the said rules, in rule 31, for sub-rule (b), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(b) has served for not less than two years, in the capacity of a Fireman or Operator or Pump man or Water man or an Assistant Fireman or Assistant Operator on a steam boiler;"
- 6. In the said rules, for "Form C", the following Form shall be substituted, namely:-

"Form C (See Rule 41)

(Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency)
(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2011)
No. of

Shri	aged about

Years, at present residing at

having satisfied the Board of Examiners of his competency to fulfill the duties of Second Class Boiler Attendant, is granted under the Boiler Attendants' Rules, 2011, this certificate of competency as a Second Class Boiler Attendant authorizing him to have charge of a single boiler with steam pipes of any type, the heating surface of which does not exceed 200 square meters. He may, however, attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers (not exceeding 200 square meters in aggregate of total heating surface) provided that

considered necessary	y by the Chi	ief Insp	ector of Boil	ers.		
Dated at	this		day of		20	_ : :
				1		
Secretary					Chairman	
Board of Examiners	*	i.		Board	of Examiner	
		Desc	ription Roll			
РНОТО		1.Date	and Place of	Birth		
		2. Perr	nanent addre	ss		
		3. Nati	onality			
		4. Hei	ght (without s	shoes)		
		5.	Marks of Id	entification	on no	
		6.	Left Thumb	impressi	on no	
	,	Signat	ure of applica	ant		
Endors	ements		n			
					[F. No. 6(11)/200	9-Boilers
	,			SH	UBHRA SINGH	